

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 9, बुधवार, शाके 1938-अगस्त 31, 2016 Bhadra 9, Wednesday, Saka 1938-August 31, 2016	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये

कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जायपुर, अगस्त 31, 2016

एस.ओ. 69 :- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 5 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 28 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ. 1(8)/एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2011 दिनांक 16 सितम्बर, 2015 को अतिष्ठित करते हुए, इसके द्वारा घोषित करती है कि उपापन के निम्नलिखित प्रकारों में इलेक्ट्रॉनिक उपापन का अंगीकरण अनिवार्य होगा, अर्थात् :-

1. दस लाख रुपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले माल और सेवाओं के उपापन; और
2. पांच लाख रुपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले संकर्मों के उपापन।

यह अधिसूचना 01 सितम्बर, 2016 से प्रवृत्त होगी।

[संख्या एफ.1(8) एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए.आर./2011]

राज्यपाल के आदेश से,
नवीन महाजन,
शासन सचिव।

**FINANCE (G&T) DEPARTMENT
NOTIFICATION**

Jaipur, August 31, 2016

S.O.69 :-In exercise of the powers conferred by sub-sub-section (2) of section 28 of the Rajasthan Transparency in Public

Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 5 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, in supersession of this department's notification number F. 1(8) /FD/GF&AR/2011 dated 16 September, 2015, hereby declares that the adoption of the electronic procurement shall be compulsory in the following types of procurement, namely :-

1. Procurement of Goods and Services having estimated value of rupees ten lakh or more; and
2. Procurement of Works having estimated value of rupees five lakh or more.

This notification shall come into force with effect from 01st September, 2016.

[No. F.1(8)/FD/GF&AR/2011]

By Order of the Governor,

Naveen Mahajan,

Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.